दिनांकः 12.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमें में वांछित 01 हत्यारोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 08.12.2024 को वादिया सविता पत्नी सुखप्रीत पुत्री मानसिंह निवासी खडन्जा अहमदपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर दी कि दिनांक 06.12.2024 को सुखप्रीत उर्फ अजय पुत्र बलदेव निवासी आखलौर थाना कोतवाली जिला मुजफ्फरनगर के द्वारा वादिया के पिता मानसिंह पुत्र मीरसिंह की हत्या कर कर दी गयी है । जिसके आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0स0 672/2024 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनाँक 11.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **सुखप्रीत उर्फ अजय पुत्र बलदेव निवासी ग्राम आखलौर कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर** को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः- अभि0 ने पूछने पर बताया कि मेरी शादी वर्ष 2018 में सविता पुत्री मानसिंह निवासी खड़जा अहमदपुर थाना देबबन्द सहारनपुर से हुई थी। सविता को मेरी पूर्व में हुई शादी का भी पता था। वर्ष 2021 में हम दोनों की आपसी कलह के कारण सविता ने पुलिस में शिकायत की थी तथा कोर्ट में खर्चे का मुकदमा डाल दिया था जिस कारण मैं तीन माह जेल में बंद रहा था। करीब 01 वर्ष पूर्व जेल से बाहर आने के बाद मैं 02 माह से वारण्टो की कार्यवाही से बचने के लिए अपनी बहन के घर ग्राम सलेमपुर थाना बहादराबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड के यहा रहकर मजदूरी कर रहा था। वहा पड़ौस में रहने वाली एक महिला से भी मेरा मेल जोल हो गया था मैं दिनाँक 05.12.2024 को बहादराबाद से पडौसी महिला से मोबाईल लेकर अपना सिम डालकर शाम के समय जब ग्राम खड़जा अहमदपुर पहुँचा तो घर की बाहर से कुन्दी लगी देखकर मैं एक दुकान पर आ गया था जहां मैने सिगरेट में गांजा भरकर पिया जिससे मुझे नशा हो गया। नशे में मैं दोबारा जब घर पहुंचा तो घर में मेरा ससुर मानसिंह अकेला था वह मुझे देखकर कहने लगा यहा क्यो आये हो, मैने कहा अपने बच्चो को देखने आया हूँ तथा मैने अन्दर से ताला बन्द कर अपने ससुर के मुहँ पर मुक्के मारे और दोनो हाथो से गला दबा दिया था जिससे वह बेहोश हो गया था फिर मैं थमला पकड़कर पैर गले पर रखकर खड़ा हो गया जिससे ससुर की सांस बन्द हो गयी जिसके बाद मैं घबराकर सीडी से छत पर चढकर पीछे जंगल की तरफ उतरकर भाग गया था। मैं उक्त घटना में थक गया था और नशे में भी था तो ग्राम खडंजा अहमदपुर के जंगल में मन्दिर के आगे मकान खाली पड़े रहते है वहा पर जाकर सो गया था रात को जब मुझे ठण्ड लगी तब मैं उठकर बहादराबाद चला गया परन्तु अपनी बहन के घर ना जाकर फैक्ट्री में काम की तलाश में लग गया। काम की तलाश को जाते समय रास्ते से आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुखप्रीत उर्फ अजय पुत्र बलदेव निवासी ग्राम आखलौर कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 राकेश पंवार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. है0 का0 655 कमलेश थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः12.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.09.2024 को वादी श्री संजीव कुमार पुत्र कामता सिंह जोनल मैनेजर मुथूट माइक्रोफिन लि0 निवासी- मकान नंबर 15, गांव व पोस्ट- जागीर, थाना एलाऊ सगामई मैनपुरी उत्तर प्रदेश की लिखित तहरीर बाबत 1- महक सिंह पुत्र अनूप सिंह निवासी गांव बिरालसी थाना चरथावल जिला मुज़फ्फरनगर 2- शादाब अहमद पुत्र गुलबहार निवासी मकान नंबर 251 सोहनचिड़ा आहात सहारनपुर उत्तर प्रदेश 3- मोनू कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी मकान नंबर 580 ग्राम जसाला जिला शामली उत्तर प्रदेश 4. संदीप पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम टांडी थाना फलावदा मेरठ द्वारा क्लाइंट का लोन वितरण करना और मासिक किस्तों को क्लाइंट के घर से एकत्र करना और फिर कम्पनी के बैंक अकाउंट में जमा न करने के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 296/2024 धारा 409 बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र शर्मा के नेतृत्व मे आज दिनांक 12.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त सन्दीप पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम टाण्डी थाना फलावदा जिला मेरठ** को ग्राम टाण्ड़ी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं उक्त पते का मूल निवासी हूँ। मैं मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड कम्पनी के रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर नियुक्त था मुझे कम्पनी की तरफ से लोन का पैसा क्लाइंटो से वसूल करने की जिम्मेदारी दी गयी थी तो मेरे द्वारा लगातार क्लाइंटो से लोन की वसूली की गयी थी उन क्लाइंटो के पैसो से कुछ पैसा जमा कर देता था तथा लालचवश कुछ पैसा बचा लेता था तथा जमा नही करता था। मेरे द्वारा पूर्ण पैसा जमा न करने की जानकारी कम्पनी को होने पर उनके द्वारा मुझे बर्खास्त कर दिया था और मैं नौकरी छोडकर भाग गया था। कम्पनी की तरफ से मुझे कई बार कम्पनी का रूपये जमा करने के लिए कम्पनी के मैनेजर द्वारा दूरभाष अवगत कराया गया था। परन्तु मैने कम्पनी का गायब किये रूपये खर्च कर लेने के कारण जमा न कर सका था। उक्त धनराशि मेरे द्वारा कम्पनी की क्लाइंटो की जमा नही की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सन्दीप पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम टाण्डी थाना फलावदा जिला मेरठ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रामबीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1006 तरूण कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः12.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.10.2024 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत बीरसिंह पुत्र स्व0 मोहनसिंह निवासी म0नं01बी/6647 न्यू नवीर नगर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर द्वारा वादिया का शारीरिक उत्पीडन कर दुष्कर्म करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर सम्बन्धित मु0अ0सं0 585/24 धारा 64(2)(1),115(2),131 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.12.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **वांछित अभियुक्त बीरसिंह पुत्र स्व0 मोहनसिंह निवासी म0नं0 1बी/6647 न्यू नवीन नगर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर** को न्यू नवीन नगर कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

बीरसिंह पुत्र स्व0 मोहनसिंह निवासी म0नं0 1बी/6647 न्यू नवीर नगर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 मौ0 जहागीर थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. का0 186 विमल थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. का0 2546 नवीत थाना सदर बाजार सहारनपुर

दिनांकः 12.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.12.2024 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी **अभियुक्त कलीम पुत्र आबिद नि0ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 1433/2022 धारा 125(3) सीआऱपीसी को कैलाशपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

कलीम पुत्र आबिद निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री लोकेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. है0का0 38 सुरेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
3. का0 2010 विक्रान्त कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

दिनांकः 12.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 04 जिलाबदर अभियुक्तगण को नोटिस तामील कराकर जनपद की सीमाओं से किया गया निष्कासित

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियो के विरूद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.12.2024 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्तगण 1.दीपक उर्फ कान्हा पत्र मानसिंह 2.सागर पुत्र मनोज सिंह 3.सन्नी उर्फ दिग्विजय पुत्र राजेन्द्र 4.विशू उर्फ विश्वजीत पुत्र अरविन्द उर्फ दलजीत सिंह समस्त निवासीगण ग्राम रायपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम में प्रभावी निवारक कार्यवाही करते हुए **जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर** के वाद सं0 3283/2024 , 3284/24, 3285/24, 3286/24 मे अभियुक्तगण उपरोक्त को जिलाबदर घोषित किये जाने के क्रम में थाना सरसावा पुलिस द्वारा लाउड स्पीकर व ढोल से मुनादी कराते हुए विधि पूर्वक नोटिस तामील किये गये।

जिलाबदर अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. दीपक उर्फ कान्हा पत्र मानसिंह निवासी ग्राम रायपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. सागर पुत्र मनोज सिंह निवासी ग्राम रायपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. सन्नी उर्फ दिग्विजय पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम रायपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. विशू उर्फ विश्वजीत पुत्र अरविन्द उर्फ दलजीत सिंह निवासी ग्राम रायपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

अभियुक्त दीपक उर्फ कान्हा का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 170/14 धारा 147/148/149/323/506 भादवि
2. मु0अ0सं0 217/17 धारा 307/323/452 भादवि भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
3. मु0अ0स0 149/20 धारा 188/269/270 भादवि व 3 महामारी अधिनियम थाना सरसावा सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 52/23 धारा 147/148/149/307352 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा
5. मु0स0सं0 122/23 धारा 505(2) भादवि थाना ननौता सहारनपुर
6. मु0अ0स0 138/24 धारा 504/506 भादवि थाना नकुड जिला सहारनपुर
7. मु0अ0स0 217/23 धारा 384/504/506 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
8. मु0अ0स0 255/24 धारा 126(2)/115(2)/109/61(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर
9. मु0अ0स0 261/24 धारा 3(5)/109/352/351(3) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर

अभियुक्त सागर का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 228/2019 धारा 147/148/149/323/504/506 भादवि थाना सरसावा
2. मु0अ0सं0 200/2020 धारा 188/323/352/504/506 भादवि व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) एससी एसटी एक्ट थाना सरसावा
3. मु0अ0सं0 52/23 धारा 147/148/149/307352 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा

अभियुक्त सन्नी उर्फ दिग्विजय का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 228/19 धारा 147/148/149/323/504/506 भादवि व 3 महामारी अधिनियम थाना सरसावा
2. मु0अ0सं0 200/20 धारा 188/323/352/352/504/506 भादवि व 3(1) द,ध , 3(2) 5ए एससी/एसटी एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
3. मु0अ0स0 460/20 धारा 147/148/149/307/332/353 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 52/23 धारा 147/148/149/307/352 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
5. मु0अ0स0 255/24 धारा 126(2)/115(2)/109/61(2)/131 बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर
6. मु0अ0स0 261/24 धारा 3(5)/109/352/351(3) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर

अभियुक्त विशू उर्फ विश्वजीत का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 234/2023 धारा 394/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा
2. मु0अ0सं0 320/2023 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सरसावा
3. मु0अ0सं0 52/23 धारा 147/148/149/307/352 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 155/23 धारा 307/323/452/504/506 भादवि थाना सरसावा
5. मु0अ0सं0 228/2019 धारा 147/149/323/504/506 भादवि थाना सरसावा

नोटिस तामील करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री नीरज कुमार गुप्ता थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. का0 1497 मोनू तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. का0 894 अंकित तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
7. का0 105 दीपक कुमार थाना सरसावा जनपद सहानपुर
8. म0है0का0 06 बबीता थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांक - 12.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा कब्रिस्तान से पेड चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से यू0के0लिप्टस के तने (04 क्विंटल) व घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप गाडी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 12.11.2024 को वादी श्री अब्दुल मलिक पुत्र शरीफ अहमद निवासी सलेमपुर गाडा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा अज्ञात अभि0गण द्वारा कब्रिस्तान से 06 यू0के0 लिप्टस के पेड काटकर चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 298/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/चोर/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पेड चोरी की घटना का सफल अनारण करते हुए 01 अभियुक्त **मौ0 पैगाम पुत्र इस्लाम नि0 रैडी मुस्तकम थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर सहारनपुर** को जमालपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कब्रिस्तान से चोरी किये गये 05 यू0के0 लिप्टस के तने (4 क्विंटल) एवं घटना मे प्रयुक्त पिकअप गाडी रंग सफेद रजि0नं0 यूपी 11 डीटी 2951 को बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/3(5) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मै और मेरे 05 अन्य दोस्त अपने जरुरतों को पूरा करने के लिए रात्रि में कब्रिस्तान अथवा सुनसान जगहों/जंगलो से कीमती लकडी काटकर बेच देते है और लकड़ी बेचकर मिले पैसों को आपस में बराबर बांट लेते है आज मै इन लकडियों को बेचने जा रहा था कि आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मौ0 पैगाम पुत्र इस्लाम नि0 रैडी मुस्तकम थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 05 पेडों के कटे हुये यूके लिप्टस तने (04 क्विंटल)
- 01 पिकअप गाडी रंग सफेद रजि0न0 यूपी 11 डीटी 2951

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 रनपाल सिहं थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्याम सिंह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 113 विकास कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 218 अय्यूब थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा 02 शातिर गौकश अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से गौकशी के उपकरण व 01 कार बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 08.12.2024 को वादी श्री सोमपाल पुत्र कशमीरा निवासी शशीनगर लालवाला रोड थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से वादी की गाय चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- मु0अ0स0 675/24 धारा 305(ए) अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना का शीघ्र अनावरण व गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.12.2024 को गस्त व चैकिग के दौरान थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा घटना का अनावरण करते हुए 02 शातिर गौकश **1.सुहैब पुत्र फैजान निवासी लहसवाडा शाहजीलाल कस्बा देवबन्द सहारनपुर व 2.सोनू उर्फ सलमान पुत्र इशाक निवासी मौहल्ला सैय्यद कालोनी खानखाँ कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर** को रेलवे क्रासिंग बास्तम अन्डर पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से एक गाडी आई 10 व गौकशी करने के उपकरण बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2)बीएनएस व 3/5/8 सीएस एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूंछताछ करने पर दोनो ने एक राय होकर बताया कि हम दोनों आवारा गोवंश की हत्या करके गौमांस को बेचकर मुनाफा आपस में बांट लेते है। दिनांक 6/7.12.2024 की रात्रि को समय करीब 00.30 बजे लालवाला रोड पर सडक किनारे मौ० शशीनगर मे एक छप्पर के अन्दर से अपने तीसरे साथी के साथ मिलकर एक गाय चोरी की थी और चोरी करने के बाद गाय को हम तोनो ने कुछ ही दूरी पर एक गन्ने के खेत में काट दिया था जिसका मीट हम अपनी इसी आई टेन गाडी में भरकर ले गये थे मौके पर गाय का मूँह व खाल छोड दी थी तथा शाकिर उर्फ गोलू की हवाई चप्पल व एक छुरी वही पर रह गयी थी गाय के मीट को रात में ही तीन बजे के बाद हम तीनो ने वक्फ दारूल व सैय्यद कालोनी में लोगो को बेच दिया था जिसमें से तीन हजार रुपये मेरे (सलमान उर्फ सोनू) व दो हजार रुपये शुऐब के हिस्से में आये थे जिनमें से हम दोनो से कुछ पैसे खर्च हो गये है जो शेष बचे है वह हमारी जामा तलाशी में बरामद हो गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सुहैब पुत्र फैजान निवासी लहसवाडा शाहजीलाल कस्बा देवबन्द सहारनपुर
2. सोनू उर्फ सलमान पुत्र इशाक निवासी मौहल्ला सैय्यद कालोनी खानखाँ कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 2600/- रूपये

- गौकशी के उपकरण (02 कुल्हाडी, 03 रस्सी, 01 छूरी, दो चापड (दाव))
- 01 कार आई टेन रजि0 नम्बर DL7CJ4099

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. उ0नि0 रविन्द्र कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० विकास चारण थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1124 राहुल शर्मा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 ललित कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 302 सोनू कुमार देवबंद जनपद सहारनपुर।
6. का0 2107 रवि राठी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
7. है0का0 जितेन्द्र कुमार थाना देवंबंद जनपद सहारनपुर।
8. है0का0109 महबूब अली थाना देवंबंद जनपद सहारनपुर।
9. है०का0 56 ललित कुमार थाना देवंबंद जनपद सहारनपुर